अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

संख्या-56/2021/905/52-1-2021-39(एम0एस0डी0पी)/17

लखनऊ : दिनांक 20 जुलाई, 2021

संशोधन-आदेश

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-54/2021/839/52-1-2021-39(एम0एस0डी0पी0)/17 दिनांक 08.07.2021 के विषय में "अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार की 138वीं इम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 22.12.2017 तथा 140वीं इम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 23.02.2018 में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती एम0एस0डी0पी0) के अन्तर्गत जनपद मेरठ, हापुड, मुरादाबाद, सम्भल, जे0पी0नगर, सिद्धार्थनगर, बदायुं, गाजियाबाद, बागपत, शामली, अम्बेडकरनगर, बिजनौर तथा बरेली में निर्मित 23 राजकीय इण्टर/राजकीय बालिका इण्टर कालेज में फर्नीचर एवं उपकरण की व्यवस्था हेतु निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा दिनांक 31.03.22021 में समर्पित की गयी प्रथम किश्त की केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि में से प्रथम किश्त के केन्द्रांश की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में," के स्थान पर त्रुटिवश अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार की 138वीं इम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 22.12.2017 तथा 140वीं इम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 23.02.2018 में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती एम0एस0डी0पी0) के अन्तर्गत जनपद मेरठ, हापुड, मुरादाबाद, सम्भल, जे0पी0नगर, सिद्धार्थनगर, बदायुं, गाजियाबाद, बागपत, शामली, अम्बेडकरनगर, बिजनौर तथा बरेली में निर्मित 23 राजकीय इण्टर/राजकीय बालिका इण्टर कालेज में फर्नीचर एवं उपकरण की व्यवस्था हेतु केन्द्रांश की प्रथम किश्त एवं उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश की धनराशि के सम्बन्ध में, अंकित हो गया है।

अत: कृपया विषय में अंकित अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार की 138वीं इम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 22.12.2017 तथा 140वीं इम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 23.02.2018 में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती एम0एस0डी0पी0) के अन्तर्गत जनपद मेरठ, हापुड, मुरादाबाद, सम्भल, जे0पी0नगर, सिद्धार्थनगर, बदायुं, गाजियाबाद, बागपत, शामली, अम्बेडकरनगर, बिजनौर तथा बरेली में निर्मित 23 राजकीय इण्टर/राजकीय बालिका इण्टर कालेज में फर्नीचर एवं उपकरण की व्यवस्था हेतु केन्द्रांश की प्रथम किश्त एवं उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश की धनराशि के सम्बन्ध में, के स्थान पर"अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार की 138वीं इम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 22.12.2017 तथा 140वीं इम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 23.02.2018 में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती एम0एस0डी0पी0) के अन्तर्गत जनपद मेरठ, हापुड, मुरादाबाद, सम्भल, जे0पी0नगर, सिद्धार्थनगर, बदायुं, गाजियाबाद, बागपत, शामली, अम्बेडकरनगर, बिजनौर तथा बरेली में निर्मित 23 राजकीय इण्टर/राजकीय बालिका इण्टर कालेज में फर्नीचर एवं उपकरण की व्यवस्था हेतु निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा दिनांक

http://shasanadesh.up.gov.in

31.03.22021 में समर्पित की गयी प्रथम किश्त की केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि में से प्रथम किश्त के केन्द्रांश की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में," पढ़ा जाये ।

2.- अत: उक्त शासनादेश संख्या-54/2021/839/52-1-2021-39(एम0एस0डी0पी0)/17 दिनांक 08.07.2021 को सीमा तक संशोधित समझा जाये तथा शेष निर्देश/शर्ते यथावत रहेगें ।

(डी0एस0 उपाध्याय)
विशेष सचिव।

संख्या-905(1)/बावन-1-2021-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5- प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को विषयांकित जनपदों में निर्मित 23 राजकीय इण्टर/रा0 बालिका इण्टर कालेज में फर्नीचर एवं उपकरण की व्यवस्था में निर्धारित मानकों का अनुपालन करने एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी यथावश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
6- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
8- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।
9- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण को निर्मित 23 राजकीय इण्टर/रा0 बालिका इण्टर कालेज में फर्नीचर एवं उपकरण की व्यवस्था का समयान्तर्गत एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
10- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
11- सम्बन्धित जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी।
12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01प्रति।
13- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इच्छाराम)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in